

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

क्रमांक बनाम सी.पी.सी.

किस्म मुकदमा :- 188

राजो काश्ता अधि 1955

प्रकरण संख्या 64 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जी इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2.4.25	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलमन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 12.5.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</b></p>	
4.5.25	<p>पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 12.5.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</b></p>	
28.5.25	<p>वकील वादी ने ज.पत्र पेश कर विवेक किया कि वादी इन्तजारी तलबी दिनांक 12.5.25 को पेश हो। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 12.5.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</b></p>	